संख्या-7/2016/2350/33-2-16-31डब्ल्यू/2016

प्रेषक,

सुशील कुमार मौर्य,
विशेष सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 29 जुलाई, 2016

विषय:-प्रदेश की जिला पंचायतों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली साप्ताहिक बाजारों से तहबाजारी समाप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-463/33-2-13-25जी/2013, दिनांक 12.03.2013 द्वारा समस्त जिला पंचायतों, ग्राम पंचायतों एवं निजी भूमि पर लगने वाले बाजारों पर तहबाजारी वसूल न करने के निर्देश दिये गये थे।

2- उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देश जिला पंचायतों के स्वामित्व वाले व उनके नियंत्रण में लगने वाले हाट/बाजारों में तहबाजारी की वसूली के संबंध में हैं। संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा 37(इ) के प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत के अथवा उसके नियंत्रण में लगने वाले हाट/बाजार अथवा मेलों के संबंध में यह निर्देश लागू नहीं है।

उपर्युक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(सुशील कुमार मौर्य)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ ।
4- निदेशक, पंचायतीराज (लेखा), उ0प्र0, लखनऊ ।
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0।
6- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उ0प्र0 ।
8- समस्त पंचायती राज अधिकारी, उ0प्र0।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द प्रधान)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Search easily http://www.bhartiyashasanadesh.org
http://shasanadesh.up.nic.in